कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, छवॉ तल जवाहर भवन, लखनऊ।

यू0पी0 नीट यू0जी0–2019 की द्वितीय चक्र की ऑन लाईन कांउसिलिंग से आवंटन/पुनरावंटन प्राप्त अभ्यर्थियों के प्रवेश के संबंध में सूचना/सामान्य निर्देश

- द्वितीय चक्र की ऑनलाईन कांउसिलिंग के माध्यम से आवंटित/पुनरावंटित अभ्यर्थी प्रवेश हेतु निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार निर्धारित नोडल सेंटर पर उपस्थित होकर प्रवेश प्रकिया पूर्ण करायेगें।
- प्रथम काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थियों को छोडकर नये आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय समस्त शैक्षणिक/जाति प्रमाण पत्र मूलरूप में प्रस्तुत करना किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उनके प्रवेश पर विचार नही किया जायेगा।
- प्रथम कांउसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग के माध्यम से पुनरावंटन (Resaffle/upgraded seat) प्राप्त हुयी है, वह प्रथम काउंसिलिंग मे अभिलेखों के सत्यापन के उपरान्त दी गयी मूल रसीद तथा शुल्क जमा किये जाने संबंधी रसीद के साथ संबंधित नोडल सेंटर पर उपस्थित होकर प्रवेश प्रकिया पूर्ण करेगें।
- द्वितीय चक्र की काउसिलिंग से पुनरावंटित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय शिक्षण शुल्क की अन्तर की धनराशि का सी0टी0एस0 बैंक ड्राफ्ट अभ्यर्थी द्वारा नोडल सेंटर पर जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
- *प्रथम कांउसिलिंग से आवंटित सीट यदि द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के माध्यम से पुनः आवंटित हो गयी है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को संबंधित नोडल सेंटर पर पुनः रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं पूर्व की आवंटित सीट रिटेन (**Retain**) नही रहेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।*
- द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग के माध्यम से नये आवंटित होने वाले अभ्यर्थियों को आवंटन पत्र पर अंकित नोडल सेंटर पर संबंधित मेडिकल/डेंटल कालेज हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क की धनराशि का सी0टी0एस0 बैंक ड्राफ्ट जो "महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0"(***Director General, Medical Education & Training, U.P.*** **payable at Lucknow**) के पक्ष मे देय होगा, प्रवेश के समय सम्बन्धित नोडल सेन्टर पर जमा करना अनिवार्य होगा।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों में आवंटित/पुनरावंटित अभ्यर्थी नोडल सेंटर पर प्रवेश प्रकिया पूर्ण कराने के उपरान्त समस्त अभ्यर्थी आवंटित मेडिकल/डेंटल कालेज में रिपोर्ट करना सुनिश्चित करें।
- राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में आवंटन प्राप्त समस्त अभ्यर्थी आवंटित मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रकिया सम्पन्न करायेगें।
- प्रथम/द्वितीय चक्र की काउसिलिंग से प्रवेश लेने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनके मूल अभिलेख नोडल सेंटर पर जमा है, को अभ्यर्थी द्वारा अवमुक्त कराये जाने की आवश्यकता नही है। अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख कांउसिलिंग प्रकिया समाप्त होने के उपरान्त संबंधित मेडिकल/डेंटल कालेजों में नोडल सेंटर द्वारा सीधे हस्तगत करा दी जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा केवल प्रवेशित मेडिकल/डेंटल कालेजों में अपनी योगदान आाख्या प्रस्तुत की जानी है।

दिनांक–01.08.2019

महानिदेशक